

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पंचायतीराज अनुभाग-3

लखनऊ दिनांक 27 दिसम्बर, 2022

विषय:-व्यक्तिगत शौचालयों का आवश्यकतानुसार रेट्रोफिटिंग के सम्बन्ध में।
महोदय,

उपर्युक्त विषयक स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) फेज-2 के क्रियान्वयन हेतु निर्गत गाइडलाईन- 1040/33-3-2021-116/2020 दिनांक 22 जून 2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त गाईडलाइन में ओ.डी.एफ की स्थिति को बनाये रखने के लिए पैरा संख्या-3(ii) "पूर्व से निर्मित व्यक्तिगत शौचालय, जो उपयोग में न लाये जाने के वजह से अथवा अन्य तकनीकी कारणों से निष्प्रयोज्य से हो गये हैं, उनके रेट्रोफिटिंग का कार्य कराया जाना है, यह कार्य वित्त आयोग के अन्तर्गत उपलब्ध सैनिटेशन मद(टाइड फण्ड) की धनराशि से कराया जाएगा।" का उल्लेख है।

उक्त के दृष्टिगत शासनादेश संख्या-2081/33-3-2022 दिनांक 03 अक्टूबर 2022 के क्रम में, मोबाइल फोन आधारित "पंचायत सहायक एप" के माध्यम से सम्बन्धित ग्राम पंचायत के पंचायत सहायकों द्वारा रेट्रोफिटिंग सर्वे का कार्य किया जा रहा है तथा सर्वे का अद्यतन प्रगति विवरण <http://sbm.upprd.in> पर देखा जा सकता है।

2- पंचायत सहायकों द्वारा पंचायत सहायक एप के माध्यम से किये जा रहे सर्वे में निम्नानुसार सूचनाएँ संकलित की जा रही हैं:-

(क) शौचालय विहीन ऐसे परिवार(नव सृजित परिवार शामिल करते हुए) जिन्हें व्यक्तिगत शौचालय निर्माण योजना हेतु योजना का लाभ नहीं दिया गया है।

(ख) ऐसे लाभार्थी जिनका शौचालय उपयोग में नहीं आ रहा है उनका विवरण और शौचालय उपयोग में न आने का कारण यथा-अपूर्ण सुपर स्ट्रक्चर, छत न होना, दरवाजा न होना, फर्श टूटा होना, सीट टूटा होना, चैम्बर न बनना, कनेक्टिंग पाईप न होना, गड्ढा डैमेज होना, गड्ढे पर ढक्कन न होना, एक ही गड्ढे का शौचालय निर्मित होना आदि।

भारत सरकार द्वारा व्यक्तिगत शौचालय निर्माण हेतु प्रोत्साहन धनराशिरु0 12000 प्रति शौचालय निर्धारित है। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार के पत्र संख्या-S-18011/25/2022-SBM-V-DDWS दिनांक 26 नवम्बर 2022 द्वारा रेट्रोफिटिंग हेतु प्रति शौचालय रु. 5000/- (पाँच हजार मात्र) तक 15वे वित्त आयोग की धनराशि अथवा मनरेगा कन्वर्जेंस से व्यय सीमा निर्धारित किया गया है। धनराशि कम होने की दशा में MPLAD/MLALAD मद का भी उपयोग किया जा सकता है। रेट्रोफिटिंग हेतु आवश्यक अतिरिक्त धनराशि सम्बन्धित लाभार्थी द्वारा स्वयं से भी वहन किया जा सकता है।

उपरोक्त कार्यो हेतु निम्नानुसार वित्तीय व्यय सीमा निर्धारित की जाती है-
वित्तीय व्यय प्राविधान-

क्र. सं.	रेट्रोफिटिंग अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्य	प्राक्कलित धनराशि (रु० में)	वित्तीय व्यय सीमा घटकवार (रु० में)
1	2	3	4
1	सुपर स्ट्रक्चर मरम्मत कार्य।	5000.00	5000.00
2	ऐसे शौचालय जिनके बाहरी दीवारों पर प्लास्टर किया जाना है	1812.00	1812.00
	ऐसे शौचालय जिनके आन्तरिक दीवारों पर प्लास्टर किया जाना है	1812.00	1812.00
	ऐसे शौचालय जिनके बाहरी एवं आन्तरिक दोनों दीवारों पर प्लास्टर किया जाना है	3625.00	3625.00
3	ऐसे शौचालय जिनमें छत लगाई जानी है	1800.00	1800.00
4	ऐसे शौचालय जिनका फर्श मरम्मत किया जाना है	550.00	550.00
5	ऐसे शौचालय जिनके सीट टूटा है, जिसे बदला जाना है	1650.00	1650.00
6	ऐसे शौचालय जिनका दरवाजा टूटा है, जिसे बदला जाना है	1500.00	1500.00
7	ऐसे शौचालय जिनका जंक्सन चेम्बर नहीं बना/टूटा है, के निर्माण हेतु	500.00	500.00
8	ऐसे शौचालय जिनके 01 गड्ढा/टैंक/पिट है, उसमें दूसरा गड्ढा/टैंक/पिट निर्माण हेतु	4850.00	4850.00
9	सेप्टिक टैंक होने की दशा में आउटलेट पर लिच पिट का निर्माण हेतु	4850.00	4850.00
10	ऐसे शौचालय जिनके गड्ढा/टैंक/पिट पर ढक्कन नहीं लगा है। (प्रति ढक्कन)	1700.00	1700.00
11	ऐसे शौचालय जिनके प्रयोग हेतु पानी की टंकी नहीं बनी है।	2000.00	2000.00

उक्त सारणी में उल्लिखित वित्तीय व्यय-सीमा लखनऊ के शिड्यूल ऑफ रेट(एस0ओ0आर0) अद्यतन दरों पर निर्धारित किया गया है। उचित होगा कि मण्डल/जनपद अपने स्थानीय शिड्यूल ऑफ रेट के अनुरूप प्राक्कलन तैयार कर रेट्रोफिटिंग का कार्य करावेंगे, परन्तु प्रति शौचालय अधिकतम व्यय की अनुमन्य सीमा रु० 5000/- (रुपया पाँच हजार मात्र) से अधिक नहीं होगी।

• क्रमवार प्रक्रिया-

- (I) रेट्रोफिटिंग सर्वे उपरांत सम्बन्धित व्यक्तिगत शौचालयों में कराये जाने वाले कार्यो की सूची तैयार की जायेगी तथा कराये जाने वाले कार्यो को जीपीडीपी अन्तर्गत मुख्य/सप्लीमेंट्री प्लान में अनिवार्य रूप से सम्मिलित किया जाएगा।
- (II) नियोजित कार्यो पर उपरोक्तानुसार निर्धारित सीमा में ही आने वाले सम्भावित व्यय का ऑकलन ग्राम पंचायत द्वारा किया जायेगा।
- (III) रेट्रोफिटिंग कार्य एवं व्यय सम्बन्धित ग्राम पंचायत द्वारा वित्त आयोग केटाइड फण्ड अन्तर्गत उपलब्ध सैनिटेशन मदकी धनराशि से ई-ग्राम स्वराज के माध्यम से किया जाएगा। उपरोक्त सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-2350/33-3-2021-2257/2021 दिनांक 16 दिसम्बर 2021 में उल्लिखित प्रशासनिक, तकनीकी एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन करते हुए किया जाएगा।

(IV) रेट्रोफिट किये गये समस्त शौचालयों का फोटोग्राफ "ई-ग्राम स्वराज पोर्टल" पर सम्बन्धित पंचायत सहायको द्वारा अनिवार्य रूप से अपलोड किया जाएगा, साथ ही रेट्रोफिटिंग हेतु स्वीकृति देने की व्यवस्था पंचायत सहायक एप के माध्यम से की जा सकेगी।

(V) ग्राम स्तरीय सर्वेक्षण एवं सत्यापन के त्रुटि रहित आंकड़ों की "पंचायत सहायक एप" में फीडिंग एवं सम्बन्धित निर्माण कार्य का कोई डुप्लीकेसी न हो इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धितपंचायत सहायक/ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम प्रधान का होगा। भविष्य में किसी प्रकार की डुप्लीकेसी ऑफ वर्क की स्वीकृति अथवा वास्तविक कार्य की अस्वीकृति पाये जाने की स्थिति में सम्बन्धित पंचायत सहायक/ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम प्रधान के विरुद्ध नियमानुसार दण्डात्मक/विधिक कार्यवाही की जायेगी जिसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे।


(VI) एक शौचालय/लाभार्थी के सम्बन्ध में अधिकतम एक ही बार रेट्रोफिटिंग हेतु स्वीकृति दी जा सकेगी अर्थात् एक ही शौचालय के सम्बन्ध में अलग-अलग कार्यों हेतु एक से अधिक बार स्वीकृति नहीं दी जा सकेगी। इस हेतु पंचायत सहायक मोबाइल एप में फीडिंग/अनुश्रवण व्यवस्था की जा सकेगी।

(VII) विकास खण्ड स्तर पर सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) सर्वेक्षण के आंकड़ों का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन तथा रेट्रोफिटिंग से सम्बन्धित निर्माण कार्य एवं गुणवत्ता व डुप्लीकेसी ऑफ वर्क की स्वीकृति अथवा वास्तविक कार्य की अस्वीकृति पाये जाने की स्थिति में उत्तरदायी होंगे तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी जिसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे।

(VIII) जिला पंचायतराज अधिकारी सम्पूर्ण प्रक्रिया व त्रुटि रहित सर्वेक्षण एवं रेट्रोफिटिंग से सम्बन्धित निर्माण कार्य एवं गुणवत्ता व डुप्लीकेसी ऑफ वर्क की स्वीकृति अथवा वास्तविक कार्य की अस्वीकृति पाये जाने की स्थिति में उत्तरदायी होंगे तथा उनके विरुद्ध नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी जिसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे।

(IX) मण्डलीय उपनिदेशक(पं०) निर्धारित समयान्तर्गत सर्वेक्षण कार्य एवं रेट्रोफिटिंग निर्माण कार्य पूर्ण कराने का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन करेंगे।


3- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में समय-समय पर निर्मित कराये गये व्यक्तिगत शौचालयों का उपरोक्तानुसार रेट्रोफिटिंग क्रियान्वयन हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(मनोज कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या व दिनांक-तदैव

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक पंचायतीराज/मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) उ०प्र०।
2. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ०प्र०।
3. समस्त मण्डलीय उप निदेशक(पं०) उ०प्र०।
4. समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी उ०प्र०।

आज्ञा से,

(बी. चन्द्रकला)
विशेष सचिव।